



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052025-263400
CG-DL-E-27052025-263400

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2296]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 26, 2025/ज्येष्ठ 5, 1947

No. 2296]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 26, 2025/JYAISTHA 5, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2025

सं.15/2025-26

विषय: तैयार चमड़े, वेट ब्लू चमड़ा ईआइ टैन्ड चमड़ा और क्रस्ट चमड़े के निर्यात हेतु पत्तन प्रतिबंधों और अपेक्षित परीक्षण आवश्यकताओं को हटाने के संबंध में।

का.आ. 2350 (अ).—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा समय-समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना 23(आरई-2013)/2009-14 दिनांक 13 अगस्त, 2013 को रद्द करती है। तदनुसार, निम्नलिखित निर्यात शर्तें तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं —

1. तैयार चमड़े, वेट ब्लू चमड़े और ईआइ टैन्ड चमड़े के निर्यात पर पत्तन प्रतिबंध।

2. तैयार चमड़े, वेट ब्लू चमड़े, क्रस्ट चमड़े और ईआइ टैन्ड चमड़े के लिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) द्वारा अपेक्षित परीक्षण और प्रमाणन।

अधिसूचना का प्रभाव: यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से तैयार चमड़े, वेट ब्लू चमड़े और ईआइ टैन्ड चमड़े के निर्यात पर पतन प्रतिबंध को हटाती है, तथा तैयार चमड़े, वेट ब्लू चमड़े, क्रस्ट चमड़े और ईआइ टैन्ड चमड़े के निर्यात के लिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई) द्वारा परीक्षण और प्रमाणन के लिए नमूने लेने की आवश्यकता को हटाती है।

[फा.सं. 01/91/171/50/विविध/एम21/पार्ट फाइल/ई-38032]

अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, 26th May, 2025

No.15 /2025-26

Subject: Removal of Port Restrictions and Testing Requirements for Export of Finished Leather, Wet Blue Leather, EI Tanned Leather and Crust Leather - regarding.

S.O. 2350 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby rescinds Public Notice 23(RE-2013)/2009-14 dated August 13, 2013, as amended, from time to time. Accordingly, the following export conditions are revoked with immediate effect -

- i. Port restrictions on export of Finished Leather, Wet Blue Leather and EI tanned leather.
- ii. Requirement for Testing and certification by Central Leather Research Institute (CLRI) for Finished Leather, Wet Blue Leather, Crust Leather and EI tanned leather.

Effect of the Notification: The notification removes, with immediate effect, port restrictions on the export of Finished Leather, Wet Blue Leather, and EI Tanned Leather, and the requirement of drawl of samples for testing, testing and certification by the Central Leather Research Institute (CLRI) for export of Finished Leather, Wet Blue Leather, Crust Leather, and EI Tanned Leather.

[F. No. 01/91/171/50/Misc/AM21/PartFile/E-38032]

AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy.